संख्या– 178/VI-2/2012–51(5)–यु0क0/2011

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी
उधमसिंहनगर/नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 5 जुलाई, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–330/XXVII(1)/2012 दिनांक 22 जून, 2012 तथा शासनादेश सं0 116/VI-2/2012–51(5)–यु0क0/2011 दिनांक 16 मई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, 2012–13 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹160.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹106.67 लाख (₹ एक करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) मात्र की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	जनपद	निर्वतन पर रखी गयी धनराशि (धनराशि लाख ₹ में)
1	देहरादून	13.49
2	हरिद्वार	10.58
3	पौड़ी	11.85
4	चमोली	10.97
5	रूद्रप्रयाग	6.41
6	टिहरी	4.40
7	उत्तरकाशी	11.44
8	उधमसिंहनगर	3.66
9	नैनीताल	3.21
10	अल्मोड़ा	12.03
11	बागेश्वर	7.71
12	चम्पावत	4.98
13	पिथौरागढ़	5.94
	योग	106.67

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2011 दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लि

........(2)

बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे जायें।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना– 9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 178 /VI-2/2012–51(5)–यु0क0/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी उधमसिंहनगर/नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़।
7– समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।